Ph.:- 01572-248009

Rajasthan

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SHIV SINGHPURA HOUSING BOARD, NAWALGARH ROAD SIKAR - 332001

RPCB/RO-Sikar/Gen.-191 (legal)/ 879 Date: 12.10.2020

To,

The Registrar General,
National Green Tribunal,
New Delhi-110001

Sub:- Report of Joint Committee constituted in O.A. No. 46/2020 in the matter of Ranveer Singh Maan & Others V/s State of Rajasthan & Others before the NGT, Central Zonal Bench, Bhopal.

Ref:- Order dated 31.07.2020 and 31.08.2020 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi.

Sir,

With reference to above, please find enclosed here with report of Joint Committee for kind consideration.

Yours Sincerely,

Encl:- As above

(Neeraj Sharma)
Regional Officer

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
सीकर

(1)

REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 46/2020 (CZ) IN THE MATTER OF RANVEER SINGH MAAN & OTHERS. V/S STATE OF RAJASTHAN & OTHERS ORDER DATED 31.07.2020 & 31.08.2020 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 31.07.2020 and constituted a joint committee consisting:-

   i. ***Collector, Jhunjhunu***

   ii. ***Executive Engineer Mining, Sikar***

   iii. ***State Pollution Control Board.***

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the action taken report on or before 14.10.2020. The State Pollution Control Board will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. That in pursuance to order dated 31.07.2020 Executive Engineer Mining Sikar, District Collector appointed Additional District Collector, Jhunjhunu and State Pollution Control Board appointed Regional Officer, Sikar. A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

अधिशासी अभियंता, सीकर

(2)

3. That Assistant Mining Engineer, Jhunjhunu has submitted his factual report dated 14.09.2020 along with entire detail of Mining leases. The details given by them 40 mining leases were allotted, out of them 11 mining leases (ML No. 484/06, 50/05, 21/04, 554/05, 19/04, 252/05, 20/04, 532/06, 249/05, 91/03, 92/04)has been cancelled and remaining 29 mining leases are existing out of them 9 mining leases (ML No. 193/97, 24/04, 28/04, 18/04, 311/06, 453/04, 587/05, 37/03, 92/03) are in operation. A copy of the factual report dated 14.09.2020 is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That Executive Engineer of Water Resources Division Sikar has also submitted his factual report dated 06.10.2020 and mentioned that Modi-Ilakhar Dam has not been damaged by mining and blasting operations. A copy of the factual report submitted by the Executive Engineer Water Resources Division Sikar is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

5. That, thereafter, it has been decided that a joint inspection should be held by the joint committee and concern departments as under:-

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर

... अभियन्ता, सीकर

1. Additional District Collector, Jhunjhunu (nominated by the District Collector, Jhunjhunu).
2. Executive Engineer Mining, Sikar
3. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Sikar.
4. Executive Engineer Water Resources Department Sikar.
5. Ground Water Scientist, Ground Water Department, Jhunjhunu.

In pursuance to aforesaid decision a joint inspection was held on 21.09.2020. Prior to aforesaid joint inspection proper acknowledgement/information has been given to the Applicant Shri Ranveer Singh Maan through SMS and Mobile conversation. It is further submitted that, thereafter, a joint inspection was held in presence of applicant and it was observed that there are 40 Mining Leases sanctioned in aforesaid mining lease area in which 11 mining leases have been cancelled by Mining Department. There was no mining activity or blasting observed during inspection. It was observed that there was not any damage in wall of Modi Ilakhar Dam.

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर

(4)

There was not any deposit of water in Modi Ilakhar Dam. It is also observed that there was not any mining work at the level of water Table of the area. The committee also took photograph of the site inspection which are annexed along with joint inspection report dated 21.09.2020. A copy of the joint inspection report dated 21.09.2020 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-4**.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Rajendra Prasad Agarwal)
Additional District Collector,
Jhunjhunu

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Sikar

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सीकर

(Manoj Kumar Sharma)
Mining Engineer,Sikar

खनि अभियन्ता, सीकर

(5)

(ANNEX-1)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

AEE(M)

क्रमांकः–एफ.16(7)(5)न्याय / खनन / 2002 / III /   दिनांकः–

8/9/2

आदेश

माननीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2020 रणधीर सिंह मान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2020 के द्वारा गठित कमेटी में अधोहस्ताक्षरकर्ता की ओर से माननीय अधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अति. जिला कलक्टर, झुंझुनू को एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

जिला कलक्टर,झुंझुनूं

क्रमांकः–एफ.16(7)(5)न्याय / खनन / 2002 / III / 1700   दिनांकः– 14-8-2020

प्रतिलिपि :– निम्न को पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अति. जिला कलक्टर, झुंझुनू।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर।
3. उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी।
4. खनि अभियन्ता, झुंझुनू।

जिला कलक्टर,झुंझुनूं

12/08/2020

(6)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.

Phone: 5101871, 5101872, EAPBX: 5159600, 5159699 FAX: 5159694-97

SPEED-POST

NGT-MATTER
MOST URGENT

No.F.10 (321) RPCB/Legal/NGT/ 2020 | 496 Dated: 7.9.2020

Regional Officer,
Regional Office,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Sikar,

Sub:- Compliance of Hon'ble NGT order dated 31.07.2020 in Original Application 46/2020 Ranveer Singh Maan Vs State of Rajasthan & Others passed by the Hon'ble NGT.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 31.07.2020.

Sir,

With reference to above subjected matter and referred order it is to inform that the Hon'ble NGT has passed order dated 31.07.2020 (Copy enclosed) inter-alia as follows;-

"1. The issue raised in this application is illegal mining and it is alleged that the lease holders of mining are adopting a system of 'deep-hole blasting' and with the use of 'heavy earth moving machinery' at Gorir Masonary Stone Mine for mining activities which was situated at the Hill i.e. the natural wall of the Modi-Hakhar Dam and are not only violating the guidelines but are also causing irreparable damage to the Modi-Hakhar Dam. That if the illegal mining is not stopped then this will cause a distortion in the structure of the natural boundary of the Modi-Hakhar Dam and during the heavy rainfall Modi-Hakhar Dam will not protect the downstream area from any potential hazard and the sole purpose of constructing the Modi-Hakhar will be vitiated.

2. It is alleged that the Sub-Divisional Officer Khetri, District Jhunjhunu has also informed the matter to the District Collector, Jhunjhunu and inquiry was conducted.

3. The issue involved in this application is serious in nature and involves environmental matter.

4. Issue notice to the respondents. Returnable within three weeks.....

.... 10. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint Committee consisting of:-

(i) Collector Jhunjhunu

(ii) Executive Engineer Mining, Sikar

(iii) Madhya Pradesh Pollution Control Board

11. The Committee is directed to visit the place and submit the action taken report within three weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

Further the Hon'ble Tribunal by order dated 31.08.2020 has clarified as follows:-

"*Vide order dated 31.07.2020 a Committee was constituted and in the list of Committee at serial no. (iii) in place of State Pollution Control Board Rajasthan it was wrongly typed as Madhya Pradesh Pollution Control Board.*

2. Accordingly, in place of name of the Committee at serial no. 3, it should be read as State Pollution Control Board Rajasthan and State Pollution Control Board Rajasthan will be the nodal agency for coordination and logistic support"

In view of above, you are hereby appointed as Nodal Officer on behalf of the State Board with the direction to ensure the compliance of Hon'ble NGT order dated 31.07.2020 and submit the compliance report to this office also.

Encl: As above/(Pg-No, 1, 2 and 3)

Yours sincerely,

Member Secretary
O/C

(8)

(ANNEX-2)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, झुंझुनू

दूरभाष व फैक्स : 01592-294427 e-mail:- me.jhunjhunu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः खअ/झुन्झुनूं/रि/अप्र/खप/खेतड़ी/2020/1318 दिनांकः 14.09.2020

प्रेषितिः-

श्रीमान् क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदुषण नियत्रण मण्डल,
सीकर।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल मे विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 46/2020 (सी.जेड) रणवीर सिंह मान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

प्रसंगः-आपका पत्र कमांक 713-718 दिनांक 09.09.2020 की पालना बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र कमांक 713-718 दिनांक 09.09.2020 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल मे विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 46/2020 (सी.जेड) रणवीर सिंह मान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है, जो पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

भवदीय

(प्रमोद कुमार बलवदा)
खनि अभियन्ता, झुझुनूं

(9)

ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 46/2020
रणवीर सिंह मान एंव अन्य
बनाम
राजस्थान राज्य एंव अन्य
वस्तुस्थिति – रिपोर्ट

यह की ग्राम मोडी गौरीर तहसील खेतडी जिला झुझुनूं मे वर्ष 1997 से 2009 के मध्य मे खान एवं भू–विभाग द्वारा 40 खनन पट्टे नियमानुसार जारी किये गये थे। समस्त खनन पट्टे विधीवत रुप से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियमों प्रावधानो के तहत तत्समय आवश्यक समस्त अनापतिया प्राप्त कर आंवटित किए गए है। उक्त पहाडी के आस पास स्थित खनन पट्टों के मूल सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार खनन पट्टों की 45 मीटर दूरी में कोई सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, नदी नाला आदि स्थित नहीं होने पर नियमानुसार जारी किये गये । वर्तमान मे उक्त 40 खनन पट्टो मेसे 11 खनन पट्टे खण्डित है एवं शेष 29 खनन पट्टे विधीवत रूप से धृत है। उक्त 29 खनन पट्टो मेसे केवल 9 खनन पटटों में वर्तमान में खनन कार्य चालू हैं जिनमे DISTRICT ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (DEIAA) द्वारा DISTRICT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (DEAC) की अनुशंसा Enivironment Clearance (EC) एवं राजस्थान प्रदुषण नियत्रण मण्डल से CTE(Consent to Establish), CTO (Consent to Operate) एवं ब्लास्टिंग अनुमति DGMS (Director general of mines and safety), भारत सरकार से मैनेजर नियुक्ति व ब्लास्टिंग हेतु स्वीकृति प्राप्त खनन कार्य चालू (सूची सलंग्न) है।

शेष 20 खनन पट्टे मेसे 16 खनन पट्टे जिनमे खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS, भारत सरकार द्वारा खनन कार्य वर्ष 2015 से बन्द करवाया गया है। 4 खनन पट्टो मे प्रदुषण विभाग /DGMS, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नही होने से खनन कार्य बन्द है।

वर्तमान मे मोडी पहाडी स्थिति खनन पट्टा संख्या 193/97, 24/04, 28/04, 18/04, 311/06, 453/04,587/05,37/03,92/03 मे ही खनन कार्य चालू है। मोडी इलाखर बांध की पक्का कन्सट्रक्शन के 250 मीटर दायरे मे कोई खनन पट्टा स्थिति नही है। (क्षैत्र का कम्पोजिट मैप संलग्न)

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 मे उक्त क्षैत्र मे अवैध खनन जॉच की जाने पर 4 खनन पट्टे कमश एम.एल.संख्या 453/04,92/04,18/04,92/03 के पट्टेधारियो द्वारा स्वीकृत क्षैत्र से बाहर अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया । जिसकी शास्ति राशि रूपये 5896871/– जमा करवाई गई ।

वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय संलग्नक श्रीमान् को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

खनि अभियन्ता, झुझुनूं

	311/06	श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह निवासी चरखी तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह निवासी चरखी तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा mailid- vinitvcc1983@gmail.com phone no -8607776668	गौरीर	1.00	10630 25.11.06	366 06.02.07	03.05.07 से 20 वर्ष	Letter no. 478 dt 20-06-17 (100000)	100000	11-08-17 to 31-07-22	HEMM and deep hole blasting permission issued for 5 years by Letter no. 2758 dt 02-05-18	खनन कार्य चालू है।	-
6.	453/04	श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री सूर्याभानू शर्मा निवासी ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू mailid- shivkaransingh28@gmail.com phone no -9680287551	गौरीर मोड़ी पहाड़ी	1.00	4762 25.06.05	5696 14.09.05	10.10.07 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (205000)	205000	01-03-19 to 29-02-24	HEMM permission without deep hole blasting permission issued for 5 years by Letter no. 4447 dt 14.09.16	खनन कार्य चालू है।	-
7.	587/05	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री हरदयाल सिंह निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू mailid- shivkaransingh28@gmail.com phone no -9680287551	गौरीर मोडी	1.00	469 08.01.06	3123 30.06.06	14.07. 2006से20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (216000)	216000	19-06-19 to 31-05-24	Mines Manager appointed on dated 01.08.20, Short hole permission	खनन कार्य चालू है।	-
8.	37/03	मैसर्स बालाजी ग्रीट उद्योग गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं mail id- khatanar087@gmail.com phone no -9414151508	गौरीर	1.00	777 07.02.04		29.12.06 से 50 वर्ष	Letter no. 307-320 dt 15-03-2018 (100000)	100000	31-07-18 to 30-06-23	Mines Manager appointed on dated 31.12.19, Short hole permission	खनन कार्य चालू है।	-
9.	92/03	श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री सूर्यभानू शास्त्री निवासी 1036 राणी सती नगर अजमेर रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर mailid- globalagencyjpr@gmail.com phone no -9413149882	गौरीर मोडी	1.00	1805 24.03.04	81 05.10.05	9.6.2006से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (171000)	171000	30-12-16 to 30-12-21	Controlled deep hole blasting permission issued for 5 years by Letter no. 24 dt 05-01-18	खनन कार्य चालू है।	-
10	27/04	श्री नवरंग सिंह पुत्र श्री भगतावर सिंह निवासी जेरठी सुभाष नगर तहसील व जिला सीकर mailid- dilipshekhawat2008@gmail.com phone no -8890718799	गौरीर	1.00	8834 20.12.04	4716 07.07.05	25.10.05 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (216000)	216000	25-05-17 to 30-05-22	-	खनन कार्य बन्द है।	-

	16/04	मैसर्स गौरीर माईन्स कैलाश नगर पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।	मोड़ी	1.00	6169 18.08.05	361 05.02.07	19.01.09 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (180000)	180000	29-11-19 to 31-12-24	HEMM and deep hole blasting permission issued for 5 years by Letter no. 4656 dt 14-09-16	खनन कार्य बन्द है।	–
12	17/04	श्री जयप्रकाश पुत्र श्री वीर सिंह निवासी मकान नम्बर 107 लैफ्ट साईड जी/एफ घिटोरनी ग्राम महरोली दक्षिण दिल्ली .110030	गौरिर	1.00	2976 17.05.04	6305 21.10.05	23.12.06 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16.12.16 (213750)	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7160 दिनांक 09.12.15से खनन कार्य स्थगित
13	194/97	श्रीमति रेखा मित्तल पत्नि श्री योगेश मित्तल निवासी हैली-मण्डी पटोदी जिला गुडगावा हरियाणा	गौरीर	1.00	6702 01.02.97	7087 07.12.15	03.06.98 से 30 वर्ष	Letter no. -dt 25.04.16 (270000)	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7088 दिनांक 07.12.15से खनन कार्य स्थगित
14	154/03	श्री रणसिंह जाट पुत्र श्री कृष्ण उर्फ लीलु निवासी सिकोहर तहसील मानेसर जिला गुडगांवा (हरियाणा)	गौरीर	1.00	.....	....	08.01.04 से 20 वर्ष	–	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	–
15	153/03	श्री शेरसिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी पलडा तहसील व जिला गुडगांवा (हरियाणा)	गौरीर	1.00	8927 17.10.03	....	08.01.04 से 20 वर्ष	–	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	–
16	151/03	श्री शेरसिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी पलडा तहसील व जिला गुडगांवा (हरियाणा)	गौरीर	1.00	8925 17.10.03	....	08.01.04 से 20 वर्ष	–	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	–
17	51/05	श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव निवासी मकान न.1020 पी- सेक्टर न.6 पार्ट-1 धारूहेडा तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा	गौरीर	1.00	3851 20.05.05	5705 15.09.05	05.10.05 से 20 वर्ष	–	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7117 दिनांक 08.12.15 से खनन कार्य स्थगित
18	14/04	श्री शशीकान्त शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी ढूमोली कला पोस्ट ढूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज)	गौरीर	1.00	4848 16.07.04	2247 15.04.05	17.06.05 से 20 वर्ष	Letter no. 6995-7007 dt 26-05-16 (189000)	–	–	–	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 226 दिनांक 16.01.17 से खनन कार्य स्थगित

	15/04	श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जैन निवासी प्लांट नं. पी–133, कल्याण कुंज कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	गौरीर	1.00	6170 18.08.05	5221 18.12.06	16.04.07 से 20 वर्ष	–	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7097 दिनांक 07.12.15 से खनन कार्य स्थगित
20	477/05	श्री कमलकान्त शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं	गौरीर	1.00	3614 06.05.06	1249 26.04.07	13.12.07 से 20 वर्ष	Letter no. 6995-7007 dt 26-05-16 (100260)	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7131 दिनांक 09.12.15 से खनन कार्य स्थगित
21	08/07	श्री प्रहलादराय पुत्र श्री हनुमानमल जाट निवासी वार्ड न. 10 डीएसपी ऑफिस के पीछे लाडनू रोड सुजानगढ जिला चुरू	गौरीर	1.00	4706 23.07.04		08.09.08 से 20 वर्ष	–	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7134 दिनांक 09.12.15 से खनन कार्य स्थगित
22	91/04	श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी ए–50 जनता कॉलोनी जयपुर।	गौरीर	1.00	4759 25.06.05	6422 22.10.05	10.10.07 से 20 वर्ष	–	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7114 दिनांक 08.12.15 से खनन कार्य स्थगित
23	09/07	श्री जगदीश कुमार जाट पुत्र श्री जीवनराम निवासी भागीवाद पोस्ट सालासर तहसील सुजानगढ जिला चुरू	गौरीर	1.00	4705 28.07.05		22.12.08 से 20 वर्ष	–	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7308 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
24	287/03	श्री गौरव पूनियाँ पुत्र श्री नानगराम पूनियाँ निवासी डी–8 मान नगर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं	गौरीर मोड़ी	1.00	8981 28.12.04	1902 04.05.07	19.12.08 से 20 वर्ष	–	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7293 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
25	81/05	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री प्रभातीलाल यादव निवासी ढाणी बहलावाला तन मिटेरा तहसील	गौरीर मोड़ी	1.00	4761 25.06.05	619 10.10.05	10.10.07 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16.12.16 (216000)	–	–	–		खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक

		खेतड़ी जिला झुन्झुनूं	पहाड़ी										7305 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
26	595/07	श्री रामोवतार चाहर पुत्र श्री सुण्डाराम चाहर निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।	मोड़ी पहाड़ी	1.00	7250 19.12.07	......	06.05.08 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7302 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
27	22/04	श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी प्लाट न.ए 133 कल्याण कुंज कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर।	मोड़ी	1.00	4849 16.07.04	2247 16.04.05	17.06.05 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7278 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
28	23/04	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद निवासी वार्ड न.4 सुरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनूं	मोड़ी	1.00	2978 15.05.04	2247 15.04.05	17.06.05 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7887 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
29	328/06	श्री मनिष शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा निवासी मकान न.3198 द्वारा शर्मा दूध दही भण्डार कल्याण जी का रास्ता चॉदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर	मोड़ी	1.00	6314 19.11.07	.....	01.05.08 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है।	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7290 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
30	484/06	श्री मीनू सैनी पुत्र श्री रामवतार सैनी निवासी 78 बावडी वार्ड न. 12 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।	गौरीर	1.00	5226 04.08.07	....	03.07.08 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 3062 दिनांक 14.12.17	—
31	50/05	श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री रामप्रसाद यादव निवासी मकान न.1020 पी– सैक्टर न.6 पार्ट–1 धारुहेडा तहसील व जिला रेवाडी	गौरीर	1.00	.....	.....	05.10.05 से 20 वर्ष	—	—	—	—	खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक दिनांक 16.11.16	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7091 दिनांक 07.12.15 से खनन कार्य

13

														स्थगित
32	21/04	श्री राजेश पुत्र श्री आजाद सिंह निवासी मकान नं. 977 सैक्टर 1 रोहतक, हरियाणा	गौरीर	1.00	2777 15.05.04	2247 15.04.05	17.06.05 से 20 वर्ष	Letter no. 7012-24 dt 31-05-16 (99000)	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 2029 दिनांक 27.12.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7094 दिनांक 07.12.15 से खनन कार्य स्थगित
33	554/05	श्री सुनिता कान्त शर्मा पत्नि कमल कान्त शर्मा निवासी जसरापुर तहसील खेतडी जिला झुझुनूं।	गौरीर	1.00	......	.....	13.12.07 से 20 वर्ष	—	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 9442 दिनांक 16.01.17	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7117 दिनांक 08.12.15 से खनन कार्य स्थगित
34	19/04	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री अमीलाल शर्मा निवासी आर्यनगर हिसार तहसील व जिला हिसार	गौरीर	1.00	4845 16.07.04	2247 15.04.05	23.12.06 से 20 वर्ष	—	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 2088 दिनांक 27.12.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7120 दिनांक 08.12.15 से खनन कार्य स्थगित
35	252/05	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री अमीलाल शर्मा निवासी आर्यनगर हिसार तहसील व जिला हिसार	गौरीर	1.00	5506 21.07.05	—	06.08.08 से 20 वर्ष	—	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 3097 दिनांक 05.10.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7296 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
36	20/04	श्री शशीकान्त शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी ढ़ूमोली कलां पोस्ट ढ़ूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुझुनूं (राज)	गौरीर	1.00	4846 16.07.04	2247 15.04.05	23.12.06 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (196725)	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 1890 दिनांक 13.12.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7281 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
37	532/06	श्री मनोज कुमार यादव पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव निवासी मोहनदास की समाधि के पास, वार्ड नं 3 रतनगढ़ जिला चूरू	गौरीर	1.00	3621 20.06.07	.....	24.10.07 से 20 वर्ष	—	-	-	-		खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 3045 दिनांक 14.12.17	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7284 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
38	249/05	श्री विक्रम देव पुत्र श्री हरदयाल सिंह निवासी ग्राम गौरीर तहसील	गौरीर	1.00	...	...	16.01.08 से	Letter no. 7012-24 dt 31-05-16					खनन कार्य बन्द है	

		खेतड़ी जिला झुन्झुनूं					20 वर्ष	(228000)				खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 2052 दिनांक 27.12.18	
39	91/03	श्री रिछपाल सिंह पुत्र श्री चेजराम निवासी खुड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर	गौरीर	1.00	1804 24.03.04	1327 30.06.04	09.06.06 से 20 वर्ष	Letter no. 6995-7007 dt 26-05-16 (199500)	–	–	–	खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 2023 दिनांक 27.12.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7299 दिनांक 17.12.15 से खनन कार्य स्थगित
40	92/04	श्री महिपाल पुत्र श्री अभय सिंह निवासी सहरावन पोस्ट कासन तहसील मानेषर जिला गुड़गांव, हरियाणा	गौरीर	1.00	.....	.....	10.10.07 से 20 वर्ष	Letter no. 1599-1612 dt 16-12-16 (273500)	–	–	–	खनन कार्य बन्द है। खनन पट्टा खण्डित आदेश कमांक 2070 दिनांक 27.12.18	डी.जी.एम.एस के पत्रांक 7125 दिनांक 09.12.15 से खनन कार्य स्थगित

खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं

MAP SHOWING THE EXISTING AND CANCELLED LEASES IN 100 m. AND 300 m. RADIOUS OF DAM WALL CORNER N/V - MODI GORIR, TEHSIL -KHETRI, DISTRICT - JHUNJHUNU

SCALE : 1cm =100 m.

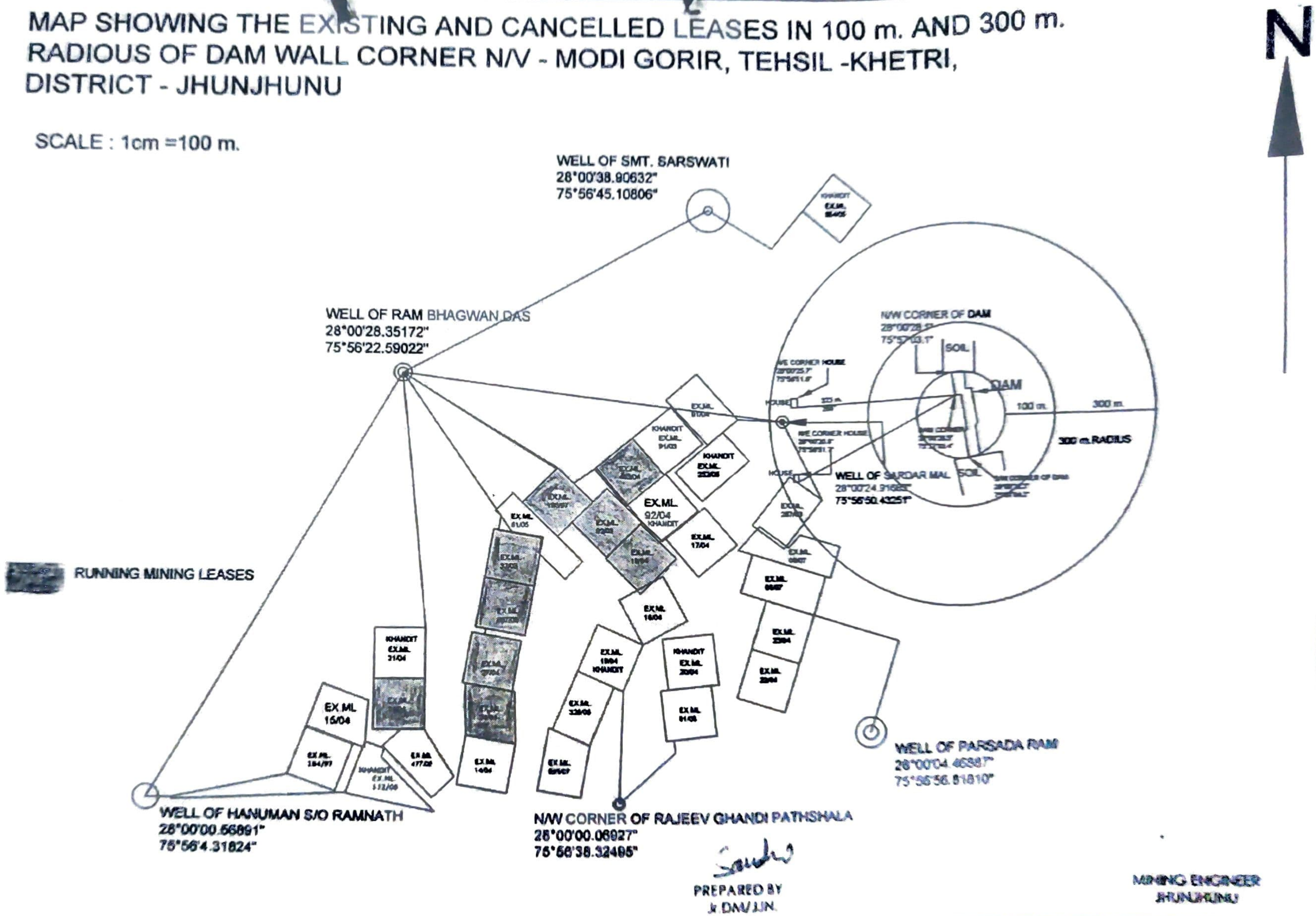

(17)

(ANNEX-3)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, सीकर

क्रमांकः– 1513 दिनांकः– 06/10/2020

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड,
सीकर।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जान भोपाल में विचाराधीन ओरिजनल ऐप्लीकेशन 46/2020 (सी.जेड) रणवीर सिंह मान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 713–718 दिनांक 09.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग से संबंधित बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके ई–मैल पर दिनांक 09.09.2020 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था, सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अधिशाषी अभियंता,
जल संसाधन खण्ड,सीकर।

Scanned with CamScanner

18

बिन्दूवार साक्षिप्त टिप्पणी

माननीय National Green Tribunal Central Zone भोपाल में दर्ज original Application No. 46/2020 रनवीर सिंह मान व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में विन्दूवार टिप्पणी निम्नानुसार है।

1. मोडी ईलाखर बांध **लघु सिंचाई परियोजना** भराव क्षमता 5.69 mcum का निर्माण वर्ष 1995–96 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किया गया। बांध के दक्षिण पश्चिम मे पहाड स्थित है एवं उत्तर पूर्व में बांध की पाल आदि का निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। लीज में खनन हेतु ब्लास्टिंग से बांध स्ट्रक्चर में आज दिनांक तक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

2. खान विभाग से सम्बन्धित है।

3. Kala-Bhuja बांध पंचायत का बांध है इसलिए इस बावत् सूचना पंचायत राज. विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।

4. बिन्दू संख्या 4 पर विभाग सहमत है।

5. बिन्दू संख्या 5 पर विभाग सहमत है।

6. राजस्थान सरकार का परिपत्र 25.04.2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011@SLP(C) NO 3109/2011 जगपाल सिंह एवं बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों /जोहड पायतन (cathment of a pond/ water reservoir) और तालाबों (pond) की भूमियों मे से निजि अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटन को अवैध माना है कि कम में उक्त भूमियों का निजि अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए आवंटन व निर्माण को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

7. वर्तमान तक ब्लास्टिंग से बांध के स्ट्रक्चर में आदिनांक तक किसी तरह नुकसान नहीं हुआ है।

8. वर्तमान तक ब्लास्टिंग के कारण बांध के स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

9. बिन्दू संख्या 9 पर विभाग सहमत है।

10. खान विभाग से सम्बन्धित है।

11. बांध का निर्माण वर्ष 1995–96 में करवाया गया था तथा उल्लेखित रेनोवेशन कार्य जायका योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2014–15 में राशि रू. 276.54 लाख का कार्य सामान्य प्रकिया के तहत करवाया गया था। इसका खनन/माईनिंग विभाग से कोई संबंध नही है।

(भोलाराम जाट)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, सीकर
कोड न. 593

Scanned with CamScanner

12. उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी से सम्बन्धित है।

13. उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी से सम्बन्धित है।

14. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित है वर्तमान तक बांध को खनन कार्य से कोई क्षति नहीं हुई है।

15. खान विभाग से संबंधित है।

16.सहमत है। जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक FS(6) CEWR/SE(W)mining/742 दिनांक 17.04.2018 के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 04.09.2013 के बिन्दु संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया कि Minimum distance for mining actvity हेतु वृहद सिंचाई बांध, मध्यम सिंचाई बांध एवं लघु सिंचाई बांधो हेतु जहां ब्लास्टिंग है वहां क्रमशः 1 कि.मी., 500 मी, 250 मी. एवं ब्लास्टिंग नहीं होता है वहां क्रमश 500 मी, 350 मी, एवं 200 मी, तय की गई है। मोडी इलाखर बांध लघु सिंचाई बांध है।

17. बिन्दू संख्या 17 पर विभाग सहमत है।

18. 23.05.2014 का पत्र सहायक अभियंता द्वारा अधिशापी अभियंता जल संसाधन खण्ड सीकर को लिखा है। वर्तमान में चल रही 10 लीज बांध से लगभग 400 मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है।

19. खान विभाग से संबंधित है।

20.. खान विभाग से संबंधित है।

21. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

22. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

23. खान विभाग से संबंधित है।

24. खान विभाग से संबंधित है।

25. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

26. सहमत है।

27. सहमत है।

(भोलाराम जाट)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, सीकर
कोड न. 593

Scanned with CamScanner

28. सहमत है।

29. खान विभाग से सम्बन्धित है।

30. राजस्व विभाग / कलक्टर झुंझुनू से सम्बंधित है।

31. जल संसाधन खण्ड सीकर ने पत्र दिनांक 23.04.2015 के द्वारा अधीक्षण अभियंता वृत जयपुर को लिखा कि खान विभाग द्वारा 17.07.2014 को रोक लगाने पर पत्थर खनन कार्य बन्द है लेकिन बजरी खनन कार्य चालू है खनिज विभाग द्वारा सहयोग नहीं मिलने के कारण वैध/अवैध खनन की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। वर्तमान में बांध पूर्णतया सुरक्षित है।

32. खान विभाग से सम्बन्धित है।

33. संलग्न Annexure A/23 अनुसार दो खाने एमएल 287/03 एवं एमएल 09/07 पार्टली बांध की पाल से 300 मी. के दायरे में स्थित है।

34. सहमत है।

35. खान विभाग से सम्बन्धित है।

36. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

37. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

38. राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर झुझुनुं से संबंधित है।

39. SDM कार्यालय से संबंधित है।

40. SDM कार्यालय से संबंधित है।

41 वर्तमान में चल रही लीज खनन बांध में लगभग 400 मी. एवं उससे अधिक दूरी पर स्थित है एवं उनमें ब्लास्टिंग से खनन कार्य चल रहा है। ब्लास्टिंग से बांध के स्ट्रक्चर में आज दिनांक तक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बांध के कैचमेंट में बजरी खनन से वहाव क्षेत्र में कई स्थानों पर 40–50 फीट गहरे गड्डे होने से बांध में पानी की आवक बाधित हो रही है।

(भोलाराम जाट)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड, सीकर
कोड न. 593

Scanned with CamScanner

(21)

(ANNEX-4)

मौका निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 21/09/20 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल में विचाराधीन ऑरिजिनल एप्लीकेशन 46/2020 (सेन्ट्रल जोन) रणवीर सिंह मान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/7/2020 एवं 31/08/2020 की पालना में अवैध खनन एवं हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के संचालन से मोडी ईलाकर बांध को होने वाले नुकसान के प्रभाव के सम्बंध में निम्न अधिकारियों की कमेटी द्वारा सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण किया गया:-

(1.) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू (श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा मनोनीत),

(2) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर,

(3.) खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सीकर,

(4.) अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड सीकर,

(5) प्रभारी अधिकारी, भू जल विभाग, झुंझुनू,

(6.) खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, झुंझुनू।

मौके पर निरीक्षण से पूर्व परिवादी श्री रणवीर सिंह मान को उनके मोबाईल पर मैसेज से दिनांक 21/9/2020 को मौका स्थल पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया। रणवीर मान बवक्त निरीक्षण मौका स्थल पर उपस्थित हुए तथा निरीक्षण दल द्वारा उनकी उपस्थिति में मौका स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौका स्थल की स्थितियां निम्नानुसार पाई गई:-

(1.) खनि अभियन्ता, झुंझुनू ने क्षेत्र में स्थित खनन पट्टे के बारे में बताया कि ग्राम मोड़ी गोरीर, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू में वर्तमान में 29 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। उक्त 29 खनन पट्टों में से केवल 9 खनन पट्टों में सम्बंधित विभागों की खनन कार्य हेतु अनुमति

(P.T.O) पा.व.

[signatures]

प्राप्त करके ही खनन कार्य किया जा रहा है। शेष 20 खनन पट्टों में से 16 खनन पट्टों में खान सुरक्षा निदेशालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं 4 खनन पट्टों में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं खान सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त नहीं होने से खनन कार्य बंद है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में उक्त क्षेत्र में 4 खनन पट्टों में पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन कार्य किया पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टेधारियों से शास्ति राशि ₹ 5896871/- आरोपित कर वसूली की गई। मौका निरीक्षण के समय उक्त क्षेत्र में चालू खनन पट्टों में स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य होता हुआ पाया गया।

वर्तमान में वक्त निरीक्षण खनन एवं क्रशिंग से मोड़ी ईलारबर बांध को किसी प्रकार की क्षति होना नहीं बताया गया। बांध में किसी प्रकार का जल रिसाव नहीं पाया गया।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अवगत कराया कि बांध के एक तरफ सिंचाई विभाग द्वारा बांध की पाल बनाई गई है तथा दूसरी तरफ पहाड़ी नेचुरल पाल के रूप में है। बांध को क्षति नहीं पहुंचे इसके लिए पहाड़ी का तकनीकि रूप से आवश्यक क्षेत्र नेचुरल पाल के रूप में सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। जिसकी चौड़ाई एवं ऊँचाई का निर्धारण वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा निर्धारित किए जाने बाबत् सुझाव दिया गया।

प्रभारी अधिकारी, भू-जल विभाग, झुंझुनू के अनुसार वर्तमान स्थिति में खनन कार्य से किसी भी खनन पट्टे में वाटर लेवल को

[signatures] 93

(23)

अन्तर्वेधित किया जाना नहीं पाया गया।
मौके पर फोटोग्राफ लिए गए।
मौके पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाए गए।

(मनोज कुमार शर्मा)
खनि अभियन्ता, सीकर

(नीरज शर्मा)
तकनीकी अधिकारी,
रा० प्र० नि० म०, सीकर

21.9.2020
(राजेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू

21/9/2020
(प्रमोद कुमार बलवदा)
खनि अभियन्ता, झुंझुनू

21/09/2020
(राजेश पारीक)
प्रभारी अधिकारी,
भूजल विभाग झुंझुनू

(चोलाराम जाट)
अधिशासी अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, खण्ड सीकर

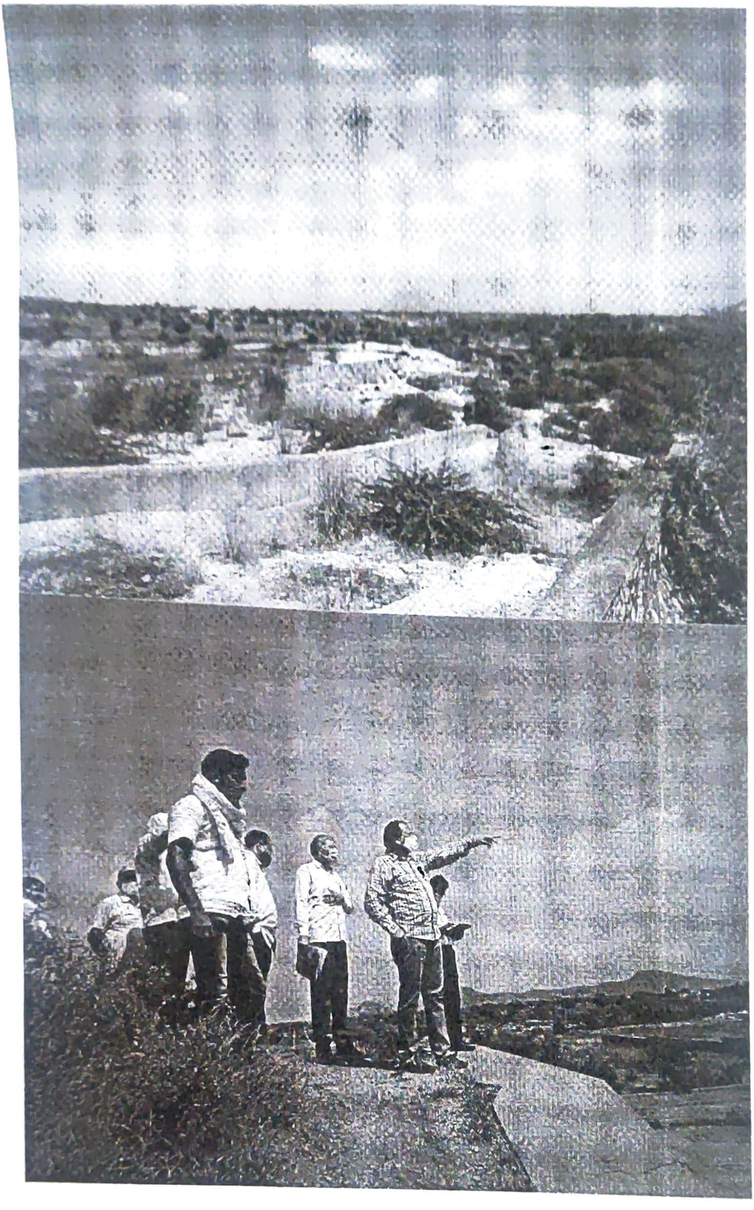

(View of Modi Ilakhar Dam)

(View of Catchment area of Modi Ilakhar Dam)

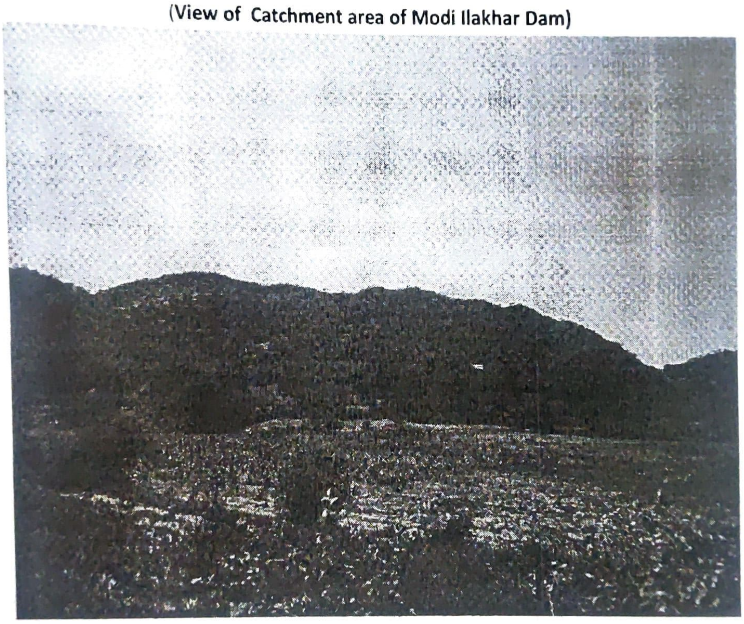

(View of Modi Gorir Hill)

(View of catchment area of Modi Ilakhar Dam)